विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-11/17

मेसर्स विजासन रोलिंग मिल, — आवेदक
40–ए, उद्योगपुरी, आगर रोड,
उज्जैन (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री(पश्चिम) शहर संभाग, — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
उज्जैन (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 25.07.2017 को पारित)

01 मेसर्स विजासन रोलिंग मिल, उज्जैन द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0362817 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2017 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक 15.05.2017 प्रस्तुत किया गया है।

02 विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अपील अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–11/17 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 प्रकरण में दिनांक 13.06.2017 को सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक अनुपस्थित रहा तथा अनावेदक की ओर से श्री सत्यजीत कुमार, सहायक यंत्री, खेड़ापति जोन उपस्थित हुए।

04 अनावेदक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा लिखित वहस प्रस्तुत की गई। तर्क के दौरान अनावेदक के प्रतिनिधि ने बताया कि अगस्त 2013 से दिसंबर 2013 की अवधि में उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर द्वारा उनके स्वीकृत भार 23 एचपी से अधिक भार दर्ज हुआ। (ओई–1)

05 अनावेदक द्वारा बताया कि आवेदक के विद्युत कनेक्शन के लेखा वर्ष 2012–13 का परीक्षण आडिट पार्टी द्वारा किया गया तथा उनके द्वारा पाया गया कि अगस्त 2013 से दिसंबर 2013 तक की अवधि के दौरान आवेदक के स्वीकृत भार 23 एचपी से अधिक एमडी पायी गई । (ओई–2) अतः वर्ष 2013–14 के लिए निर्धारित टैरिफ आदेश के प्रावधान अनुसार स्वीकृत भार से अधिक भार पाये जाने पर उनके विरूद्ध अतिरिक्त पूरक बिल रूपये 51802/– किया गया, जिसके भुगतान हेतु सहायक यंत्री, खेड़ापति उज्जैन द्वारा दिनांक 19.6.2013 को नोटिस जारी किया गया। (ओई–3) आवेदक द्वारा उक्त राशि का भुगतान न करने पर जुलाई 2014 उक्त राशि की डिमाण्ड उनके विद्युत कनेक्शन के खाते में जोड़ दी गई। (ओई–4)

06 आवेदक द्वारा अपनी अपील में यह बताया गया कि उनके परिसर में स्थापित मीटर में एमडी दर्ज करने का फीचर ही नहीं था, तब अनावेदक को कैसे मालूप पड़ा कि एमडी स्वीकृत भार से अधिक दर्ज हुई। इस कथन पर अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक के यहॉ मई 2013 में ही एमडी दर्ज करने वाले मीटर की स्थापना कर दी गई थी। (ओई–1)

07 प्रकरण में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.20 के अनुपालन अनावेदक निम्न जानकारी अगली सुनवाई की तिथि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

अ अनुज्ञप्तिधारी एवं आवेदक के बीच निष्पादित अनुबंध की प्रति।
ब कनेक्शन स्वीकृत करने की तिथि ।
स आडिट पार्टी की ओरिजनल रिपोर्ट तथा उस पर कंपनी द्वारा प्रस्तुत जबाव का दस्तावेज।
द देयक की प्रति जिसमें रिकवरी की राशि को जोड़ा गया है तथा वर्तमान देयक की प्रति।

08 दिनांक 21.6.2017 को सुनवाई में आवेदक अनुपस्थित रहा तथा अनावेदक द्वारा दिनांक 13.6. 2017 को दिये गये निर्देश पालन में जानकारी प्रस्तुत की गई। आवेदक को नोटिस सर्व किया गया कि यदि वे अगली सुनवाई की तिथि पर उपस्थित नहीं रहते हैं तो उनका प्रकरण समाप्त कर दिया जाएगा।

09 आवेदक द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई कि उन्हें विद्युत लोकपाल कार्यालय से जारी नोटिस प्राप्त नहीं हो रहे थे, इस कारण वे सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सके। अतः आवेदक को सुनवाई का एक मौका और दिया गया तथा दिनांक 20.7.2017 को उपस्थित रहने हेतु कहा गया।

10 दिनांक 20.7.2017 को सुनवाई में आवेदक एवं अनावेदक दोनों उपस्थित हुए। आवेदक द्वारा तर्क के दौरान बताया गया कि उनके बार–बार अनुरोध करने पर भी अनावेदक द्वारा आडिट की रिकवरी के संबंध में विस्तृत विवरण उन्हें नहीं दिया जा रहा था इस कारण उनके द्वारा मजबूर होकर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोर में शिकायत दर्ज करानी पड़ी। आवेदक द्वारा यह भी कहा कि उन्हें आडिट की रिकवरी जमा करने में कोई परेशानी नहीं है, परन्तु उन्हें सम्पूर्ण जानकारी दी जावे।

11 आवेदक द्वारा तर्क के दौरान बताया गया कि अनावेदक द्वारा आडिट रिपोर्ट के संबंध मे विस्तृत जानकारी मांगे जाने पर भी आवश्यक विवरण उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया जिसके कारण लगातार सरचार्ज की राशि बढ़ती रही।

12 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उपभोक्ता फोरम में सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा आडिट रिपोर्ट से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया, जबकि उनके द्वारा अधीक्षण यंत्री, उज्जैन से दिनांक 30.10.2015 को मीटर डायरी की फोटो कॉपी एवं आडिट रिपोर्ट की जानकारी चाही थी। (ओई–6)

13 अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा माननीय फोरम को अवगत करा दिया था कि आवेदक द्वारा केवल मीटर डायरी की प्रति चाही थी जो कि उन्हें उपलब्ध करा दी गई थी। (ओई–7) जबकि आवेदक द्वारा मीटर डायरी की फोटो कॉपी एवं आडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी की संपूर्ण रिपोर्ट चाही थी।(ओई–6) इस प्रकार अनावेदक द्वारा फोरम के सम्मुख सुनवाई के दौरान गलत कथन किये गये।

14 अनावेदक द्वारा आडिट रिपोर्ट की प्रति फोरम के समक्ष सुनवाई के दौरान दिनांक 21.3.2017 को प्रस्तुत की गई। (फोरम का आदेश के निर्णय पेज–2, विपक्ष के कथन पैरा में शामिल)

15 सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा प्रस्तुत एमआरआई से आडिट रिपोर्ट के संबंध में आवेदक को समझाने की कोशिश की गई परन्तु उन्हें आडिट रिपोर्ट के बारे में समझा में नहीं आया। अतः अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित प्रारूप में आडिट रिपोर्ट के बारे में विस्तृत गणना पत्रक बनाकर आवेदक को उपलब्ध करा दें तथा एक प्रति फैक्स के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वे आडिट रिकवरी के बारे में जिसमें कि आवेदक के विरूद्ध कुल बकाया राशि में आडिट की रिकवरी एवं मासिक चालू देयक के विरूद्ध पृथक–पृथक कितनी सरचार्ज की राशि जोड़ी गई है, का उल्लेख किया जाए।

16 अनावेदक द्वारा उक्त जानकारी दिनांक 25.7.2017 को फैक्स के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई। (ओई–5) जिसके अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि यद्यपि आवेदक द्वारा भी जुलाई 2014 से जून 2017 तक की अवधि में अपने मासिक विद्युत देयकों का भुगतान समय पर नहीं किया गया जिसके कारण बकाया राशि में वृद्धि हुई।

17 उपरोक्त तर्कों से यह स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा आवेदक के मागे जाने के बावजूद भी उन्हें आडिट की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। प्रकरण में निर्णय लेने से पूर्व आडिट रिकवरी के संबंध में विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी निर्देश के तारतम्य में म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 का अवलोकन किया गया, जिसकी कंडिका 8.33 जो निम्नानुसार है –

8.33 अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की मांग को छोड़कर, अंकेक्षण (audit) अथवा सतर्कता (vigilance) संबंधी वसूली तथा अन्य बकाया राशि की वसूली के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक देयक मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे जिसके अन्तर्गत ऐसे देयकों के साथ देयक तैयार करने के आधार का विवरण तथा देयक की अवधि इत्यादि लिखित में प्रदान की जाएगी। उपरोक्त देयकों का भुगतान निर्दिष्ट की गई अवधि (जो 15 पूर्ण दिवस से कम न होगी) की बकाया राशि को उपभोक्ता के आगामी देयकों में निरन्तर जोड़ा जाएगा जब तक उपभोक्ता द्वारा देयक का भुगतान नहीं कर दिया जाता है या अन्यथा उसका समायोजन नहीं कर दिया जाता।

18 उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि आडिट के संबंध में वसूली हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक देयक जारी किये जाएंगे जिसके अंतर्गत ऐसे देयक के साथ देयक तैयार करने का आधार का विवरण तथा देयक की अवधि इत्यादि लिखित में प्रदान की जाएगी। परन्तु इस प्रकरण में अनावेदक द्वारा आडिट की रिकवरी हेतु आवेदक को नोटिस जारी किया गया, जिसमें कि

आडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी की राशि रूपये 51802/– 8 दिन में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है परन्तु नोटिस के साथ आडिट रिकवरी का विवरण एवं अवधि के संबंध में जानकारी आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई गई।

19 अनावेदक द्वारा फोरम में सुनवाई के दौरान ही दिनांक 21.3.2017 को आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसकी प्रति आवेदक को दी गई। इससे स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.33 में दिये गये प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

20 यद्यपि आडिट द्वारा निकाली गई वसूली उचित है परन्तु उसे वसूल करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई एवं आवेदक द्वारा आडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराने के अनुरोध पर भी उन्हें रिपोर्ट समय से उपलब्ध नहीं कराने के कारण उनके द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारण जुलाई 2014 में आडिट रिकवरी को उपभोक्ता के बिल में जोड़ दिया जाना उचित एवं न्याय संगत नहीं है।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ अनावेदक इस आदेश के जारी होने की तिथि के पश्चात आडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी रूपये 51802/– की वूसली की कार्यवाही प्रारंभ करे तथा पूर्व में इस राशि पर बिलिंग की गई सरचार्ज की राशि को समाप्त कर संशोधित बिल आवेदक को भुगतान हेतु जारी करे।

ब फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

स उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

21 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल